

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 2343  
दिनांक 08 जुलाई, 2019

गैस टर्मिनल

2343. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने 2,485 करोड़ रुपये की लागत के गैस टर्मिनल की स्थापना के लिए 26.10.2013 को पारादीप पत्तन न्यास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन मार्च, 2015 को गेल ने मनमाने ढंग से इस फ्लोटिंग स्टोरेज को छोड़ने और पुनर्गैसीकरण यूनिट परियोजना का कार्य बंद करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या गेल और आईओसीएल ने धमरा पोर्ट में 11 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेने के लिए कसी निजी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत दोनों पीएसयूज का पारादीप पत्तन के 2485 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का तुलना में 34,500 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या यह सच है कि उक्त परियोजना का खर्च ग्राहकों से वसूला जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): गेल ने बताया है कि सितंबर, 2012 में, गेल ने भारत के पूर्वी तट के ऊपरी हिस्से में फ्लोटिंग स्टोरेज और री-गैसीफिकेशन यूनिट (एफएसआरयू) स्थापित करने की परियोजना (परियोजनाएं) शुरू करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की थी जिससे भारत के पूर्वी हिस्से में प्राकृतिक गैस बाजार को विकसित करने में सुविधा मिलेगी। परामर्शदाता ने स्थल का स्क्रीनिंग संबंधी अध्ययन किया था और दो स्थलों को सूचीबद्ध किया था जिसमें से एक स्थल धमरा पोर्ट के निकट और दूसरा पारादीप पोर्ट के निकट स्थित था।

स्थल को अंतिम रूप देने से पहले, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और ओडिशा सरकार के साथ परामर्श करने का निर्णय लिया गया था। इसी बीच, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने भी गेल से संपर्क किया और पारादीप पोर्ट के समुद्र में एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल स्थापित करने में

अपनी रुच व्यक्त की थी। तदनुसार, गेल ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए एक एमओयू पर दिनांक 26.10.2013 को हस्ताक्षर किए थे। तथापि, मार्च, 2015 में हुई बैठक के दौरान, यह वचार-वमर्श किया गया था कि चूंकि देश के पूर्वी हिस्से में गैस की मांग के बढ़ने में अभी कुछ समय लगेगा इसलिए एक ही समय पर ऐसे निकट स्थलों पर दो प्रतिस्पर्धी एलएनजी टर्मिनलों को स्थापित किया जाना स्टैंडएलोन आधार पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा।

अडानी पेट्रोलियम टर्मिनल प्रा० लि० (एपीटीपीएल) और एपीटीपीएल की सहायक कंपनी धामरा एलएनजी टर्मिनल प्रा० लि० (डीएलटीपीएल), आईओसीएल तथा गेल के बीच दिनांक 21.09.2016 को एक गैर-बाध्यकारी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत आईओसीएल और गेल के प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त होने और संबंधित पुनर्गोसीकरण करारों से संबंधित बातचीत के सफल होने की शर्त पर डीएलटीपीएल की इक्विटी संरचना पर इस प्रकार से सहमति बनी है -एपीटीपीएल: 50%, आईओसीएल: 39%, गेल: 11% । यह एमओयू 20.09.2018 को समाप्त हो गया है। इसके अलावा, गेल और आईओसीएल ने बताया है कि उनके द्वारा इस परियोजना पर कोई पूंजीगत व्यय नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*